तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित : श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

आदेश

हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेनराजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त तहसीलदार बिजोलिया ने अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए/91 के तहत संसस्थित करके मौजा सलावटिया की चारागाह की आराजी संख्या 579 में अवैध खनन करने पर प्रकरण दर्ज करते हुये अपने निर्णय दिनांक 6–8–88 द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर 1474 टन पत्थर अवैध खनन किया जाना मानकर बेदखली के आदेश पारित किये तथा धारा 89(7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत शास्ती अधिरोपण करने हेतु प्रकरण अपर जिला कलेक्टर भीलवाडा को भेज दिया। अपर जिला कलेक्टर ने अवैध खनन का मामला मानते हुये 50/–रूपये प्रति टन की दर से 73700/–रूपये शास्ती अधिरोपण कर दी। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–1–98 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि मौके पर निरीक्षण कर बनाई गई रिपोर्ट में अपीलांट को रिबटल का मौका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय थी। अपीलांट ने मौके का नक्शा पेश किया था जिसमें विवादित भूमि को खनिज विभाग के क्षेत्र में बताया है तथा उक्त दस्तावेज सुपर इम्पोज बाउण्ड्री खनिज विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अपीलांट द्वारा खनन कार्य रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा घोषित क्षेत्र में किया जा रहा है। अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाहीं में रेस्पोडेंट संख्या–4 खनिज विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। माईनिंग एवं मिनरल रूल्स के तहत खनिज विभाग ही ऐसे प्रकरण में कार्यवाहीं कर सकता है। राजस्व अधिकारियों को ऐसे प्रकरण में कार्यवाहीं का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विवादित आराजी चारागाह है जिस पर अपीलांट ने अवैध खनन कार्य किया है। इसके आधार पर शास्ती आरोपित की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध समवर्ती निर्णय पारिज किये हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार बिजोलिया ने अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए/91 के तहत मौजा सलावटिया की चारागाह की आराजी संख्या 579 में अवैध खनन करने पर अपने निर्णय दिनांक 6–8–88 द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर 1474 टन पत्थर अवैध खनन किया जाना मानकर बेदखली के आदेश पारित करते हुये धारा 89 (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तहत शास्ती अधिरोपण करने हेतु प्रकरण अपर जिला कलेक्टर भीलवाडा को भेज दिया। अपर जिला कलेक्टर ने अवैध खनन का मामला मानते हुये 50/—रूपये प्रति टन की दर से 73700/—रूपये शास्ती अधिरोपण की है। विवादित आराजी चारगाह होना स्पष्ट है। मोका पर्चा रिपोर्ट पटवारी, जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रैस खसरा गिरदावरी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयो ने अपीलार्थी को अवैध खनन का दोषी माना है। विवादित आराजी कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों को धारा 90ए/91 एवं धारा 89(7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करने का अधिकार है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालयों अथवा हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज अथवा कारण नहीं बताया जिससे उसे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त हो सके। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	